College Code : 346

सर्वेषां श्रेयसे विद्या

चौधरी महाविद्यालय

सम्बद्धता महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

चौधरी महाविद्यालय, ढकिया (बदायूं)

विवरण पत्रिका

मूल्य : 200/–

Website.: www.chaudharycollege.com
E-mail .:Chaudharycollege2021@gmail.com

सरस्वती वन्दना

या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना।
या ब्रह्माच्युतशंङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ।।१।।

शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनी
वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्
हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्धतीं पद्मासने संस्थिताम्
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ।।२।।

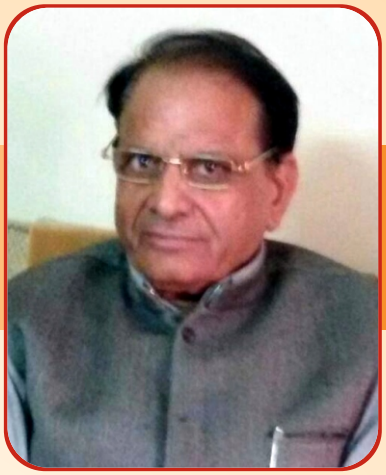

डॉ. आर.पी. सिंह (डी.लिट्)

अध्यक्ष

प्रबन्ध समिति, चौधरी महाविद्यालय, बदायूं

मेरा सपना...

मैंने अपने कुलपति पद के कार्यकाल में यह देखा कि जो स्ववित्त पोषित डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। उनका शैक्षणिक स्तर सुधारने की पहल करनी चाहिये इसी विचार को मूर्त रूप देने के लिये एक मॉडल कॉलेज बनाने की आवश्यकता है जिसमें शैक्षणिक वातावरण के साथ–साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयास किये जाये क्योंकि भावी पीढ़ी के लिये शिक्षा के साथ–साथ व्यक्तित्व निर्माण अति आवश्यक है। इस विचार को पूर्ण करने के लिये 05 अक्टूबर 2021 को जब मेरा कुलपति का कार्य पूर्ण हुआ तो इस महाविद्यालय की नींव रखी गयी। मुझे विश्वास है कि यह महाविद्यालय शीघ्र अपनी उत्कृष्टता को प्राप्त करेगा।

आगामी नये सत्र में नवागत छात्र/छात्राओं के स्वागत के लिये महाविद्यालय पूर्णतः तैयार है, उनमें एक जिम्मेदार नागरिक के गुण पोषित करके एक सभ्य व शिक्षित समाज की स्थापना में भागीदारी करना हमारा उद्देश्य है।

शोरगुल वाले वातारण से दूर शान्त हरे–भरे कैम्पस और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित महाविद्यालय विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है।

शुभकामनाओं सहित.....

(डॉ. आर.पी. सिंह)

शैली सिंह

सचिव

प्रबन्ध समिति, चौधरी महाविद्यालय, बदायूँ

संदेश

बरेली बदायूँ राजमार्ग पर बरेली व बदायूं के मध्य स्थापित चौधरी महाविद्यालय ग्रामीण अंचल के हरे–भरे वातावरण में स्थित है। चौधरी महाविद्यालय की स्थापना ग्रामीण परिवेश में रहनेव ाले छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक व सामाजिक, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से की गयी है मेरा मानना है कि देश का सर्वांगीण विकास ग्रामीण क्षेत्र के विकास में निहित है।

इस उद्देश्य के साथ ग्रामीण युवाओं के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए चौधरी महाविद्यालय की स्थापना की गयी है। आपके द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने से हमारे समूचे प्रबन्धतन्त्र को प्रसन्नता होगी कि इस संस्थान के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का समग्र एवं चतुर्मुखी विकास कर सकें।

शुभकामनाओं सहित.....

(शैली सिंह)

डॉ. आर.एस. पुण्ढ़ीर (डी.लिट्)
उपाध्यक्ष/प्रबन्ध निर्देशक
प्रबन्ध समिति, चौधरी महाविद्यालय, बदायूँ

दो शब्द

बरेली बदायूँ राजमार्ग पर ग्रामीण परिवेश में चौधरी महाविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में रहने वाले उन सभी छात्र/छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि भारत जैसे देश में विकास की धुरी ग्रामीण अंचल से निकलती है। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राऐं यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने उत्कृष्ण भविष्य तथा सभ्य समाज का निर्माण करेगें ऐसा मेरा विश्वास है।

प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राओं और अभिभावकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित.....

(डॉ. आर.एस. पुण्ढ़ीर)

शकील अहमद (एडवोकेट)

कोषाध्यक्ष

प्रबन्ध समिति, चौधरी महाविद्यालय, बदायूं

संदेश

चौधरी महाविद्यालय का भविष्य स्वर्णिम है। अपने अकादमिक स्तर, उत्तम और सराहनीय शिक्षेत्तर गतिविधियों, प्रशंसनीय व अनुशासित वातावरण, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, सकारात्मक चिंतन और संरचनात्मक आयाम इस महाविद्यालय की आधारभूत परम्परा है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर प्रवेश लेने के इच्छुक है वह अपनी यह मन स्थिति बना लें कि उन्हें कॉलेज में अनुशासित रह कर विद्वान एवं योग्य प्राध्यापकों से ज्ञान प्राप्त करके अपने को इस योग्य बनाना है कि भविष्य में उन्नति के शिखर पर प हुंच जायें तथा एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

ज्ञात के कारण से नवयुवकों का मार्ग प्रशस्त करना प्राध्यापकों का कर्तव्य है और उनके ज्ञान से अवलोकित होकर सृजन व उत्कर्ष का मार्ग ढूढ़ना विद्यार्थियों का कर्तव्य है। इस कॉलेज में प्रवेश के लिये मैं सभी अर्ह और मैरिट के आधार पर आने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वे चौधरी महाविद्यालय जैसे शिक्षा मन्दिर में प्रवेश प्राप्त कर शिक्षा प्राप्त करें।

शुभकामनाओं सहित.....

Shakil Ahmad

(शकील अहमद)

डॉ. प्रदीप सिंघल

प्राचार्य

चौधरी महाविद्यालय, बदायूं

संदेश

बरेली बदायूँ राजमार्ग पर स्थित चौधरी महाविद्यालय अपने उत्तम और सराहनीय शिक्षणेत्तर गतिविधियों, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना और गम्भीर चिन्तन इस महाविद्यालय की आधारभूत परम्परा है। महाविद्यालय में योग्य शिक्षिकों द्वारा अच्छी एवं उन्नत शिक्षा प्रदान करके जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका की जा रही है।

इस कश्वलेज में प्रवेश के लिए मैं सभी मेरिट के आधार पर आने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ देता हूँ कि वे चौधरी महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके उन्नतशील नागरिक बने।

शुभ कामनायों सहित...

Singhal.

(डॉ. प्रदीप सिंघल)

अति आवश्यक सूचना

रैगिंग से सम्बन्धित नियम

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षण संस्थाओं में जो भी छात्र/छात्रा रैगिंग में लिप्त पाए जाएंगे उनका प्रवेश निरस्त कर उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया जायेगा। कॉलेज द्वारा रैगिंग के मामले की एफ.आई.आर. तत्काल दर्ज कराई जाएगी।

उपस्थिति से सम्बन्धित नियम

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। शासनादेश में की गई व्यवस्था के अनुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली के निर्देशानुसार महाविद्यालय को प्रत्येक माह छात्र/छात्राओं की उपस्थिति का मासिक विवरण अपनी-अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा माहवार विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के निर्देश हैं।

शासनादेश के अनुरूप महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से ली जायेगी। सभी छात्र/छात्राओं को इसका पालन करना होगा।

सूचना संप्रेषण सम्बन्धी नियम

प्रत्येक छात्र/छात्रा की अपनी ई-मेल आई.डी. एवं व्हाट्सएप संचालित मोबाइल नम्बर होना परमावश्यक है। महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं एवं छात्र-छात्राओं को पाठ्य सामग्री का कुछ अंश एवं व्याख्यान ई-मेल एवं व्हाट्सएप द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। गलत मोबाइल नम्बर देने या नम्बर बदलने के कारण सूचना प्राप्त न होने पर होने वाली परेशानी के लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगा।

महाविद्यालयीय विशिष्ट नियम

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

- विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत उपस्थिति 75 प्रतिशत से न्यून होने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा, जिसके लिए महाविद्यालय का कोई वैधानिक दायित्व नहीं होगा। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व विद्यार्थी एवं उसके अभिभावकों का ही होगा। अत: विद्यार्थी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हों।

- विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विशिष्ट कारणों (गंभीर अस्वस्थता आदि) के आधार पर प्राचार्य द्वारा उपस्थिति में अधिक से अधिक 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है एवं कुलपति द्वारा प्राचार्य की संस्तुति पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम होने पर किसी भी दशा में विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

- जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित खेलों में भाग लेते हैं उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से कक्षा में उपस्थिति दिये जाने की अनुमति है।

- विद्यार्थी को उपस्थिति-न्यूनता की लिखित सूचना देने का वैधानिक दायित्व महाविद्यालय का नहीं है। विद्यार्थी स्वयं अपनी उपस्थिति के विषय में सतर्क रहें एवं अपने अभिभावकों को सूचित करें।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

- पुस्तकालय के प्रयोग हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय-कार्ड बनवाना अनिवार्य है।
- एक कार्ड पर एक बार में केवल एक ही पुस्तक निर्गत होगी।
- पुस्तकालय में Open Shelf System की भी व्यवस्था है, विद्यार्थी Shelf पर जाकर स्वयं पुस्तकें निकाल सकते हैं।
- साधारणत: पुस्तक 10 दिन के लिए निर्गत होगी जिन पुस्तकों की कमी होगी उनको कम समय के लिए दिया जा सकता है। समय पर पुस्तक न लौटाने पर प्रति पुस्तक 2/- रुपया प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड देना होगा।
- पुस्तक फाड़ने या खराब करने पर बीच से पृष्ठ गायब होने पर विद्यार्थी को उस पुस्तक के स्थान पर नवीन पुस्तक देनी पड़ेगी अथवा उसका निर्धारित मूल्य जमा करना होगा। इसलिए विद्यार्थी पुस्तक निर्गत कराते समय पुस्तक की दशा से पूर्णत: सन्तुष्ट हो लें।
- पुस्तकें निर्गत कराने एवं लौटाने का समय प्रात: 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक का है।
- सत्र समाप्ति से 15 दिन पूर्व विद्यार्थियों को पुस्तकालय कार्ड व पुस्तकें जमा करनी होंगी।
- जो विद्यार्थी अपना पुस्तकालय-कार्ड खो देगा, इसे 20 रुपये प्रति कार्ड दण्डस्वरूप जमा करने होंगे।
- पुस्तक निर्गत कराने के लिए विद्यार्थी को अपना परिचय-पत्र साथ लाना अनिवार्य है क्योंकि पुस्तकालय-कार्ड अहस्तान्तरणीय है।
- विद्यार्थी किसी भी प्रकार के दण्ड/शुल्क स्वरूप धन जमा करते समय रसीद लेना न भूलें।

छात्रवृत्ति की सूचना

म.ज्यो.फु.रु. विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति, योग्यता छात्रवृत्तियाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को छात्रवृत्ति, विकलांग छात्रवृत्ति आदि।

महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत निम्न छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं:-

1. सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग) 2. पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)
3. अनु.जाति/अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग) 4. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

उपर्युक्त छात्रवृत्ति फॉर्म भरने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के छात्र/छात्राओं के माता-पिता की वार्षिक आय 2,50,000(दो लाख 50 हजार रुपये) तथा सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के माता-पिता की वार्षिक आय रु. 2,00,000 (दो लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त छात्रवृत्तियों हेतु 75% उपस्थिति इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्र/छात्राएँ सम्बन्धित फॉर्म ऑनलाइन भरकर जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, शुल्क की रसीद, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियाँ लगाकर दो प्रतियों में सम्बन्धित लिपिक के पास जमा करें।

नोट:- छात्रवृत्ति लाभ के इच्छुक छात्र/छात्रा महाविद्यालय को सहयोग प्रदान करते हुए निश्चित तिथि के अन्तर्गत अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र महाविद्यालय में सम्बन्धित लिपिक के पास जमा करें।

महाविद्यालयीय सामान्य नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय-पत्र प्रतिदिन गले में धारण करना अनिवार्य है। जिसके बिना महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबन्धित होगा। बिना परिचय-पत्र के , महाविद्यालय परिसर में प्रॉक्टोरियल बोर्ड के द्वारा पकड़े गये विद्यार्थी को रुपये 20/- का आर्थिक दण्ड देना होगा।
2. परिचय-पत्र खो जाने पर रुपये 25/- मात्र, शुल्क जमा करने पर ही द्वितीय परिचय-पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
3. प्रवेश आवेदन-पत्र में विषय विचार पूर्वक भरें। विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. विद्यार्थी द्वारा प्रवेश पंजीकरण-पत्र, आवेदन-पत्र, परिचय-पत्र तथा परीक्षा आवेदन-पत्र पर एक ही प्रकार के फोटो लगाना अनिवार्य है।
5. विद्यार्थी प्रतिदिन सूचना पट देखें, सूचना पट पर लगाई गई प्रत्येक सूचना विद्यार्थी द्वारा देखी हुई मानी जायेगी।
6. छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन कम से कम एक चक्र पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष में अध्ययन करना अनिवार्य है।
7. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरने का पूर्ण दायित्व विद्यार्थियों का होगा। यदि वे अनुपस्थित हैं तो उन्हें कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर, निर्धारित समय के अंदर परीक्षा फार्म भरना चाहिए।
8. यदि विद्यार्थी का महाविद्यालय में या बाहर कहीं भी ऐसा व्यवहार रहता है जिससे महाविद्यालय की साख को क्षति पहुँचे तो प्राचार्य को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह उस विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दें।
9. प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास ऐसा एन्ड्रॉयड/स्मार्ट फोन होना आवश्यक है, जिसमें छात्र/छात्रा की अपनी ई-मेल आई.डी. एवं व्हाट्सएप मोबाइल नम्बर सक्रिय हो। महाविद्यालय संबंधी समस्त सूचनाएं, ई-व्याख्यान एवं कुछ निश्चित मात्रा में ई-अध्ययन सामग्री छात्र-छात्राओं द्वारा प्रदान किये गये ई-मेल एड्रेस एवं व्हाट्सएप नम्बर पर प्रेषित की जायेगी। गलत नम्बर देने या नम्बर बदल देने के कारण यदि छात्र/छात्रा को सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. छात्र/छात्रा को अपने मोबाइल नम्बर के अतिरिक्त अपने माता/पिता का भी एक स्थाई मोबाइल नम्बर देना होगा। माता/पिता के न होने की स्थिति में अभिभावक का स्थाई मोबाईल नम्बर दे सकता है।

11. महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है। अत: विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा निश्चित परिधान (ड्रेस) में आना होगा। छात्र महाविद्यालय द्वारा निर्धारित रंग की पैंट-शर्ट, जूते-मोजे पहनेंगे तथा छात्राएं निर्धारित रंग का सलवार कुर्ता, दुपट्टा तथा जूती/जूते-मोजे पहनेंगी। छात्र/छात्राओं द्वारा आभूषण पहन कर महाविद्यालय में आने पर प्रवेश वर्जित होगा।

12. प्रत्येक छात्र के पैंट की मोहरी 18 इंच से कम नहीं होनी चाहिए तथा पैंट की लम्बाई ऐड़ी के टखने से नीचे होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ड्रेस कोड का उल्लंघन माना जायेगा।
13. प्रवेश प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थी पर विवरण पत्रिका में अंकित समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीय नियम लागू होंगे और उनमें किसी प्रकार की छूट सम्भव नहीं होगी।
14. किसी प्रकार का जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
15. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा (चाहे वह लाइसेंसधारक भी हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र कॉलेज में लाना वर्जित है।
16. धूम्रपान व अन्य नशीले पदार्थ (पान, पुड़िया, गुटखा, तम्बाकू) का प्रयोग वर्जित है। पान मसाला खाकर जहाँ-तहाँ दीवारों पर थूकना अपराध माना जायेगा, जिसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
17. महाविद्यालय परिसर में थूकना, गन्दगी करना, छिलके आदि फेंकना तथा अशिष्ट भाषा व हरकत का प्रयोग करना वर्जित है।
18. महाविद्यालय प्रांगण की दीवारों आदि पर लिखना अथवा पोस्टर चिपकाना वर्जित है।
19. महाविद्यालय की संपत्ति को चुराना या छति पहुँचाना अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
20. परीक्षा सुधार के आधार पर अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश के नियम समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किये जाते हैं।
21. विद्यार्थियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों का महाविद्यालय परिसर में लाना वर्जित है।
22. छात्र/छात्राओं की विषय समस्याओं के लिए सम्बन्धित विषय में सम्बन्धित प्रवक्ता अधिकृत हैं। आवश्यक समझें तो प्राचार्य से मिलकर समस्या का समाधान कर सकते हैं।
23. महाविद्यालय में पठन-पाठन का उपयुक्त वातावरण बनाए रखना छात्र/छात्राओं का पुनीत दायित्व है।
24. जो छात्र/छात्रा अपने वाहन (साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल आदि) का प्रयोग करेंगे, उन्हें इसकी घोषणा प्रवेश के समय पर ही करनी होगी। साथ ही विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
25. विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के मूल्याकंन हेतु प्रत्येक शैक्षिक सत्र में महाविद्यालय अपने स्तर पर विश्वविद्यालय परीक्षा से पूर्व परीक्षा की व्यवस्था करेगा, जिसमें उपस्थिति अनिवार्य है।

प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण पत्रों को साथ लाना अनिवार्य है

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अंक पत्रों व प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं निर्गमन प्रमाण-पत्र (यदि कॉलेज/विश्वविद्यालय) से आये हैं।
3. चरित्र प्रमाण-पत्र (अन्तिम संस्था के प्राचार्य द्वारा निर्गत) यदि किसी अभ्यर्थी ने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण-पत्र।
4. अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज के छ: छायाचित्र।
5. आधार कार्ड की छायाप्रति
6. आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
7. जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
8. बैंक अकाउन्ट की पासबुक
9. सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ अवलोकनार्थ साथ लानी होंगी तथा उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ (दो सेट में) जमा करनी होंगी।
10. विद्यार्थियों की अपनी ई-मेल आई डी होना आवश्यक है। महाविद्यालय सम्बन्धी समस्त सूचनाएँ विद्यार्थी को ई-मेल द्वारा प्रेषित की जायेंगी, अत: ई-मेल आई डी का सक्रिय रहना अत्यावश्यक है।

महाविद्यालय में संचालित संकाय एवं विषय विवरण

विज्ञान संकाय

बी.एस-सी. (बायो ग्रुप)
रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान

बी.एस-सी. (मैथ्स ग्रुप)
रसायन, गणित, भौतिक विज्ञान

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम.

कम्प्यूटर संकाय

बी.एस.सी. कम्प्यूटर

बी.सी.ए.

कला संकाय

बी.ए. – हिन्दी, अंग्रेजी, चित्रकला, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास एवं फैशन डिजाइनिंग

स्नातक (बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम.) स्तर (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) के विषय चयन करने से पूर्व विद्यार्थी निम्न सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

अनिवार्य विषय

1. Vocational Subjects (रोजगार परक/कौशल विकास) पाठ्यक्रम - प्रत्येक सेमेस्टर में पूरा करना होगा।

2. अनिवार्य विषय Co-curricular Subjects (सह पाठ्यक्रम विषय) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, प्रत्येक सेमेस्टर में एक विषय।

विषय चयन हेतु निर्देश

1. विद्यार्थी को प्रवेश के समय विभिन्न संकायों (कला/विज्ञान/वाणिज्य/भाषा) से एक संकाय का चुनाव करना होगा।
2. यदि विद्यार्थी किसी संकाय के तीन मेजर (मुख्य) विषयों का चुनाव करता है तो उसे एक माइनर (गौण) विषय अन्य संकाय से लेना होगा।
3. यदि विद्यार्थी अपने मुख्य संकाय से दो विषय चयनित करता है तो तीसरा मुख्य विषय अन्य संकाय से लेना होगा एवं माइनर विषय का चुनाव अपने संकाय से करना होगा।

शुल्क

महाविद्यालय में संचालित विषय वर्गों का सैमिस्टर के अनुसार शुल्क विवरण :-

विषय वर्ग	शुल्क
भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित (P.C.M.)	3000/- प्रति सैमेस्टर
जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान (Z.B.C.)	3500/- प्रति सैमेस्टर
कला वर्ग (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर)	1500/- प्रति सैमेस्टर
वाणिज्य वर्ग	प्रति विषय 200/- प्रति सैमेस्टर
बी.सी.ए.	1500/- रूपये प्रति सैमेस्टर
बी.एस.सी. कम्प्यूटर	7500/- रूपये प्रति सैमेस्टर
बी.ए. फैशन	5000/- रूपये प्रति सैमेस्टर
प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय का अलग से शुल्क	5000/- रूपये प्रति सैमेस्टर

नोट :- निम्न विश्वविद्यालय शुल्क प्रत्येक छात्र/छात्रा को अलग से अनिवार्य देय होगा।
1. प्रथम सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क अलग से देय होगा।
2. प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय का परीक्षा शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा प्रत्येक सत्र में देय होगा।
3. महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को दिया गया शुल्क एक बार प्रवेश होने के बाद वापस नहीं दिया जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. स्नातक (बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम.) प्रथम सेमेस्टर में जिन मुख्य (Major) एवं गौण (Minor) विषयों का चयन किया गया है, चतुर्थ सेमेस्टर तक वे यथावत रहेंगे।
2. स्नातक पांचवे एवं छठे सेमेस्टर में गौण (Minor) विषय को छोड़कर मुख्य (Major) विषय यथावत रहेंगे।
2. बी.कॉम. में प्रवेश हेतु वाणिज्य वर्ग से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रथम वरीयता दी जायेगी। विज्ञान वर्ग/ कला वर्ग के इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को बी.कॉम में तभी प्रवेश दिया जायेगा यदि इण्टरमीडिएट स्तर पर उन्होंने गणित/ अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन किया हो।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत शुल्क जमा नहीं किया जायेगा तो चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके स्थान पर योग्यताक्रम से प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया जायेगा।
2. प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से यह आशा की जाती है कि प्रवेश आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियाँ/सूचनाएँ सही भरें व सही प्रमाण-पत्र संलग्न करें। यदि जाँच के दौरान या बाद में यह पाया जाता है कि प्रत्याशी ने कोई सूचना गलत दी है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश आवेदन-पत्र में विषय विचार पूर्वक सावधानी से भरें। विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. शुल्क जमा करने के पश्चात् छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र पर समय सारिणी प्रदान की जायेगी। प्राप्त समय सारिणी से छात्र/छात्राएँ अपना नाम सम्बन्धित समय चक्र की उपस्थिति-पंजिका में अवश्य अंकित कराएँ। उपस्थिति-पंजिका में छात्र/छात्रा का नाम अंकित नहीं होने की दशा में छात्र/छात्रा को उसकी उपस्थिति नहीं मिलेगी।
4. यदि कोई प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्रा महाविद्यालय में अभद्र एवं अशिष्ट व्यवहार अथवा महाविद्यालय विरोधी किसी गतिविधि में लिप्त पाये जाते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
5. प्रवेश प्राप्ति के तुरन्त बाद शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ लेने के इच्छुक छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर वांछित अभिलेखों के साथ अवश्य जमा करें अन्यथा विलम्ब होने पर उक्त लाभ से वंचित होने की दशा में उत्तरदायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
6. छात्र/छात्रा को उसके द्वारा चयनित विषय मिल सकेंगे या नहीं यह विवेक प्राचार्य का होगा।

नोट:- 1. **स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश नई शिक्षा नीति के तहत शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुरूप किये जायेंगे।**
2. **नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर व मिडटर्म परीक्षा एवं विश्वविद्यालय परीक्षा को विद्यार्थियों द्वारा देना अनिवार्य होगा।**
3. **समस्त प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्ण कर लिए जायेंगे।**
4. **यदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्रवेश सम्बन्धी कोई नया नियम प्राप्त होता है तो महाविद्यालय के उक्तांकित नियमों में परिवर्तन संभव होगा।**

चौधरी महाविद्यालय
प्रथम खेलकूद प्रतियोगिता-2022

घीरे चलें सुरक्षित चलें
दुर्घटना से देर भली

चौधरी महाविद्यालय

खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को पूर्व एमएलसी ने बांटे पुरस्कार

खेलकूद विजेताओं के साथ पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव। *संवाद*

बदायूं। ढकिया स्थित चौधरी महाविद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार को आयोजित की गई। विजेताओं को पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने पुरस्कृत किया।

प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने किया। उन्होंने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इंसान हर उम्र में सीखता है। डॉ. आरपी सिंह व डॉ. आरएस पुंडीर ने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे में सभी छात्रों को पढ़ाई में तो विशेष रुचि दिख... प्रति...

इस मौके पर प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार सिंघल, पवन कुमार कुलश्रेष्ठ, अजय कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। उधर, नेहरू मेमोरियल शिव नारायण दास डिग्री कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हुई। शुभारंभ प्राचार्य प्रो. कमलेश कुमार सिंह ने किया। इस दौरान बालिकाओं की कबड्डी हुई। इसमें सुनीता की टीम ने पूजा शर्मा की टीम को 28-18 से हराया। बालकों की कबड्डी में जसवीर की टीम ने विपिन की टीम को 52-49 से हराया। शतरंज की व्यक्तिगत स्पर्धा में अंश माहेश्वरी पहले, दुष्यंत

CITY OFFICE:

15, UTKARSH, PHASE I, MAHANAGAR COLONY, BAREILLY- 243006

अति आवश्यक होने पर मो. 8006504320

Printed : HindPrintingPress, Mob.: 93199-30140

क्रमांक नं०

प्रवेश आवेदन पत्र

छात्र/छात्रा पंजीकरण (एस.आर.) सन्:.....

चौधरी महाविद्यालय

सर्वेषां श्रेयसे विद्या

कोड : 346

(सम्बद्ध)-महात्मा ज्योतिबाफुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

पता: बरेली-बदायूँ राष्ट्रीय राज मार्ग रसूलपुर विजय नगला के मध्य। ढकिया, जनपद-बदायूँ - 243634

सत्र :.....

छात्र/छात्रा पंजिका सं०.....

छात्र/छात्रा का पासपोर्ट साइज फोटो यहां चिपकाऐं

1. छात्र/छात्रा का नाम.....मो.....
(बड़े अक्षरों में)
2. पिता/अभिभावक का नाम श्री .....मो.....

माता का नाम श्रीमती .....

3. कक्षा जिसमें प्रवेश लेना है.....बी.ए. ☐ बी.एस.सी. ☐ बी. काम. ☐ संकाय.....
4. विषय:.....1 .....2 .....3.....4.....
5. जन्मतिथि (अंको में) .....(शब्दों में).....
6. अन्तिम विद्यालय का नाम.....
7. अन्तिम परीक्षा ..... परिणाम .....प्रतिशत.....
8. (क) सामान्य वर्ग ☐ (ख) अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ (ग) अनु.सू.ज.जा. ☐

(घ) अल्पसंख्यक ☐ (ड) विकलांग ☐

(✓)का निशान लगाये। (तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र लगायें।) ☐

9. अभिभावक का नाम..... मो.....छात्र/छात्रा से सम्बन्ध.....
10. स्थायी पता ..... अस्थायी पता.....
11. नागरिकता.....धर्म.....
11. आधार नम्बर .....

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

कार्यालय रसीद

क्रम संख्या .....

छात्र/छात्रा का नाम.....

पिता/अभिभावक का नाम श्री.....

माता का नाम श्रीमती.....

पता.....

संकाय.....

विषय:.....1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 .....

नियमावली

1. एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में समायोजित नही होगा।
2. विद्यार्थी से आपेक्षा की जाती हे कि वह कॉलेज/विश्वविद्यालय/बोर्ड आदि द्वारा निर्धारित शुल्क तथा अन्य परीक्षा शुल्क आदि पूर्ण रुप से जमा करें।
3. यदि विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक शुल्क अदा नही करता हैं। तो कॉलेज प्रशासन को उसका नाम रोल लिस्ट से हटाने का पूर्ण अधिकार होगा।
4. शुल्क में छूट कॉलेज प्रशासन का अधिकार है शुल्क छूट को किसी भी समय बदला या समाप्त किया जा सकता है छूट केवल प्रथम वर्ष के लिए ही मान्य होगी।
5. शेष सभी अन्य नियम विश्व विद्यालय परनियमावली के अनुसार लागू होगें।
6. छात्र/छात्राओं को निर्धारित यूनीफॉर्म में ही कॉलेज आना अनिवार्य है।

<u>प्रवेश अस्थायी स्वीकृत</u>

प्राचार्य/प्रवेश अधिकारी के हस्ताक्षर